

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक – 21.03.2026

एसओजी/सर्विलांस/कोतवाली मोहम्मदाबाद व थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त व 01 बालअपचारी को लूटे गये पैसे व 01 अवैध तमंचा व कारतूस सहित पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद व थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 73/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ राँकी पुत्र मुकेश निवासी चमन नगरिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ व 01 बालअपचारी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर मु0अ0स0 74/2026 धारा 109(1) बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व 35 बीएनएसएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. उपेन्द्र उर्फ राँकी पुत्र मुकेश निवासी चमन नगरिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़
02. बाल अपचारी

घटना का विवरण- दिनांक 20.03.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गई थी की दो अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा वादी का ई-रिक्शा रोककर मोबाइल फोन व 8200 रूपये बल पूर्वक लूट लिये गये है प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 73/2026 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर कोतवाली मोहम्मदाबाद व थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ राकी उपरोक्त व बाल अपचारी उपरोक्त को संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त उपेन्द्र उपरोक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया । पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ राकी उपरोक्त बाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा बाल अपचारी को पुलिस टीम द्वारा भाग कर पकड लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी मोहम्मदाबाद ले जाया गया जहां से रेफर कर डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद भेजा गया । गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0स0 74/2026 धारा 109(1) बीएनएस(पुलिस मुठभेड) व 35 बीएनएसएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ राकी उपरोक्त ने पूछताछ पर अपने जुर्म इकबाल करते हुए बताया कि मैंने अपने साथी के साथ तमंचे के बल पर ई-रिक्सा वाले से पैसे व मोबाइल लूट लिया था व करीब तीन महीने पहले भी थाना मऊदरवाजा क्षेत्र में एक साइकिल वाले से पैसे लूट लिये थे। हमसे गलती हो गयी, माफ कर दीजिए। शेष सफाई जरिए अधिवक्ता मा0न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

01. एक तमंचा 315 बोर
02. एक जिंदा कारतूस 315 बोर
03. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
04. 01 खोखा कारतूस तमंचा की नाल में फसा हुआ 315 बोर
05. 8190 रूपये बरामद
06. घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 बिना नम्बर प्लेट (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ राकी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 73/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 74/26 धारा 109(1) बीएनएस(पु0मु0) व 35 बीएनएसएस व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
03. मु0अ0सं0 375/25 धारा 379/411 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री विनोद कुमार शुक्ल
2. उ०नि० श्री उ०नि० आशू कुमार
3. उ०नि० श्री अखिलेश कुमार
4. हे०का० पंकज कुमार
5. का० मनीष कुमार
6. का० दिग्विजय सिंह
7. का० नीरज कुमार

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

01. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
02. हे०का० अनुज तिवारी
03. का० सुभाष पाण्डेय

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम:-

01. सचिन सिंह चौधरी (प्रभारी एसओजी) मय टीम

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम:-

01. सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम) मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-21.03.2026

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305(E)/324(2)/317(2)बीएनएस से सम्बन्धित एक बाल अपचारी को चोरी के समान सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305(ए)/324(2) बीएनएस से संबंधित 01 बाल अपचारी को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. बाल अपचारी

घटना का विवरण:- वादी श्री आशुतोष पाण्डेय लेखपाल क्षेत्र पपिहापुर तहसील सदर फरूखाबाद द्वारा तहरीर दी गई थी कि अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इटावा-वरेली हाइवे पर स्थित सीज न्यू बजरंग फैमिली रेस्टोरेन्ट से अज्ञात चोर द्वारा समान चोरी कर लिया गया है, प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर तत्काल मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305(ए)/324(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण कर 01 बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी के कब्जे से चोरी किया गया समान भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी, बरामदगी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोग की विवेचना में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- बाल अपचारी द्वारा अपनी गलती की मांफी मांगते हुए शेष सफाई जरिए अधिवक्ता मा0न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण: -

1. 01 प्लास
2. 01 पाना
3. 02 (रिन्च) बोल्ट की चाबी
4. 01 पेचकस
5. 01 हथौडा
6. वायर के टुकड़ों के 04 छोटे -छोटे वन्डल
7. 02 एसी के वायर
8. 01 एसी का पार्ट
9. 04 एसी के कॉपर वाले पाइप के टुकड़े
10. 12 मोडूलर स्विच काले रंग के
11. 01 श्री प्लक काले रंग का
12. 01 श्री प्लक सफेद रंग का
13. 01 बोर्ड जिसमें 02 मोडूलर स्विच व 01 श्री प्लग लगा हुआ है
14. 01 एक्सटेंशन बोर्ड
15. 05 गोल आकार की सीलिंग लाइट
16. 01 सीसीटीवी कैमरा सी.पी. प्लस कम्पनी

आपराधिक इतिहास बाल अपचारी उपरोक्त:-

1. 01. मु0अ0सं0 97/2026 धारा 305(E)/324(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. 30नि0 श्री मूलेन्द्र सिंह।
2. 30नि0 श्री राममोहन सिंह।
3. हे0कां0 विजेन्द्र सिंह थाना।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट –थाना कमालगंज

दिनांक :- 21.03.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 73/2026 धारा 109/352/3(5)बीएनएस मे नामजद/वाछिंत अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र से मु0अ0सं0 73/2026 धारा- 109/352/3(5)बीएनएस से संबंधित नामजद/वाछिंत अभियुक्त कुंवरपाल पुत्र राधेश्याम वर्मा को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. कुंवरपाल पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी ग्राम मकू नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 20/03/2026 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम नगला टिकार थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई शिवा के साथ गाली-गलौज करना व जान से मारने की नीयत से असलहा से फायर करना , जिससे वादी के भाई शिवा का गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में दिया था, प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 109/352 बीएनएस बनाम 1. अमन वर्मा पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम मक्कू नगला थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ आदी 04 नफर पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(5)बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी तथा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र से 01 नामजद/वाछिंत अभियुक्त कुंवरपाल उपरोक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त कुंवरपाल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर गलती की माफी मांगते हुए शेष सफाई जरिए अधिवक्ता मा0न्यायालय में देना बताया

अभियुक्त कुंवरपाल उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 109/352/3(5)बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार
2. हे0का0 सन्तोष कुमार
3. का0 शेखर कटारिया
4. का0 हिमान्शू

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 21.03.2026



थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मिथुन पुत्र सरनाम निवासी आवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01. एक देशी तमंचा
02. 01 जिन्दा कारतूस 312 बोर

अभियुक्त मिथुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 115/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 21.03.2026



थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अर्जुन पुत्र पुनीत निवासी निब्बी नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त अर्जुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 116/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 21.03.2026



थाना राजेपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक युवक के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/26 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दुष्यन्त पुत्र स्व0 सत्यवीर निवासी सीढेचकरपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण :-

01. एक अवैध तमंचा 315 बोर
02. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त दुष्यन्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 43/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 142/19 धारा 323/504/506 भादवि एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 251/15 धारा 498(ए)/304(बी)/201 भादवि0 व ¼ डीपी एक्ट थाना राजेपुर
4. मु0अ0सं0 130/11 धारा 10 गुण्डा एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0 458/10 धारा 380/457 भादवि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0 202/09 धारा ¼ गुण्डा एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं0 326/07 धारा 326/504/506 भादवि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़

मीडिया सेल फतेहगढ़।

